

मध्यप्रदेश विधान सभा

करवारी-अप्रैल, 1996 सत्र

कैनिंज कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1996 (वैद 5, 1818)

सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1996 (वैद 5, 1818)
कैनिंज कार्य सूची
प्रस्तुति करने वाले विधायकों की सूची
प्रस्तुति करने वाले विधायकों की सूची

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रस्तुति

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

प्रस्तुति

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 89-2 (एक) 84-अइतालीस-95 (सं.का.) दिनांक 8 जनवरी, 1996 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, बैताडीला लौह अयस्क भण्डार क्रमांक-11 बी के हस्तांतरण के संबंध में केन्द्र शासन को भेजे गये पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1996 की प्रति पटल पर रखेंगे।

(3) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे:-

- (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 1994 से 30 जून, 1995 तक),
- (ख) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का अंकेक्षण प्रतिवेदन लेखा वर्ष 1994-95,
- (ग) गुरु धार्मिक विश्वविद्यालय, बिलासपुर का आवासीय संपरीक्षा प्रतिवेदन भाग-एक (अर्थ वर्ष 1993-94),
- (घ) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक लेखा वर्ष 1994-95 (दिनांक 1 अप्रैल, 1994 से दिनांक 31 मार्च, 1995 तक); तथा
- (ड.) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (प्रत्युत्तर सहित) वित्तीय वर्ष 1993-94.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

प्रस्तुति

(1) श्री उच्य मुदलियार, सदस्य, कोरबा स्थित हंसदेव बांगो मिनीमाता परियोजना के बैराज संभाग में अनियमितताएं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर के ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय में अनिकांड से कगजात नष्ट होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

प्रस्तुति

श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का छियासठवां, सड़सठवां, अइसठवां उन्हत्तरवां एवं सत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित समय 5. वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमांक) 1

1 घन्टा (1) मांग संख्या 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

1 घन्टा (2) मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या 64 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक

मांग संख्या 76 अनुसूचित जाति कल्याण के लिये विशेष संग्रह

निर्धारित

समय

30 मि.

1 घन्टा

30 मि.

2 घन्टे

30 मि.

30 मि.

(7) मांग संख्या 65

(3) मांग संख्या 43

(4) मांग संख्या 18

(5) मांग संख्या 40

(6) मांग संख्या 24

मांग संख्या 42

मांग संख्या 67

मांग संख्या 68

(8) मांग संख्या 35

मांग संख्या 51

(9) मांग संख्या 38

मांग संख्या 50

(10) मांग संख्या 21

मांग संख्या 25

मांग संख्या 73

1 घन्टा

(11) मांग संख्या 44

1 घन्टा

(12) मांग संख्या 14

मांग संख्या 62

1 घन्टा

(1) श्री अंजय मुशर्रान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक,

1996 (क्रमांक 4 सन् 1996) का पुरस्थापन *

1 घन्टा

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री पर्यावरण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश

नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक ३ सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि.

(3) श्री हरवेश सिंह, वचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश

वचायत निर्बाचन याचिका प्रतिभूति निषेप (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 (क्रमांक ५ सन् 1996) पर विचार किया जाय.

15 मि.

(4) श्री जसवन्त सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति

कर (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक ७ सन् 1996) पर विचार किया जाय.

15 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :

दिनांक : 23 मार्च, 1996

अशोक चतुर्वेदी

सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा